(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1102-एक/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-08-2004 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 346/2001-02 अपील

1- अंजनी कुमार 2- लेखराज सिंह पुत्रगण जनार्दन सिंह चौहान
ग्राम मसरहा (शिवपुर) तहसील सिहावल जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- छबिराज सिंह पुत्र इसराज सिंह
2- बुद्धिमान 3- गोपाल 4- भुवरा पुत्रगण अजोरवा
5- छोटकया पुत्र मिर्रा 6- बरजोरवा पुत्र गणेलिया
7- रामसहाय पुत्र सुकरूवा 8- रामलाल 9- सुग्रीव
पुत्रगण गणोलिया 10- तिलकधारी 11- डिंचलाल पुत्रगण कलुआ
12- लालमणि 13- सोनई पुत्रगण गिरवर
14- मन्नीलाल 15- रमेश 16- बल्देव पुत्रगण ददोल
17- श्यामलाल 18- रघुराज सिंह पुत्रगण जनार्दन सिंह
निवासीगण ग्राम मसरहा (शिवपुर) तहसील सिहावल जिला सीधी---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर )
( अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय )

आ दे श

( आज दिनांक 11 - 10-2017 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 346/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मसरहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 683

रकबा 0.96 एकड एंव सर्वे कमांक 472 रकबा 0.96 एकड पर बेंची टीप के आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त सिरावल के समक्ष नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 56 अ-6/67-68 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 28-4-1988 पारित करके बेंची टीप के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 24/अ-6/89-90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-1992 से नायव तहसीलदार वृत्त सिरावल का आदेश दिनांक 28-4-1988 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 346/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2004 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत् जांच करके तथा समुचित सूचना प्रकाशित करके नायव तहसीलदार वृत्त सिरावल ने आदेश दिनांक 28-4-1988 से नामान्तरण किया है। विक्रय पत्र की जांच करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ-6/89-90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-1992 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 346/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2004 निरस्त किये जावें। उन्होंने निगरानी स्वीकार किये जाने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त सिरावल ने कच्ची विक्रय टीप के आधार पर नामान्तरण वावत् आदेश दिनांक 28-4-1988 पारित किया है। विक्रय टीप कच्ची है अर्थात पॅजीकृत दस्तावेज नहीं है। विक्रय टीप में

भूमि सर्वे कमांक 683 के अतिरिक्त 640 भी अंकित है जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक समाधान नहीं करा सके हैं। नायव तहसीलदार के समक्ष नामांत्रण कार्यवाही के दौरान रामलाल, सुग्रीव, तिलकधारी तथा लालमणि ने आपत्ति की है कि जनार्दन सिंह चौहान द्वारा जाली विक्रय टीप लिखवाकर नामान्तरण करवाया जा रहा है किन्तु इन आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । विज्ञप्ति का प्रकाशन भी समुचित ढंग नहीं करना अनुविभागीय अधिकारी ने पाया है जिसके कारण कच्ची विक्रय की सत्यता की जॉच परख के उद्वेश्य से एंव हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के लिये अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने आदेश दिनॉक 29-8-1992 से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के प्रत्यावर्तन आदेश से सभी पक्षकारों को तहसील न्यायालय में सुनवाई का अवसर मिलेगा एंव आवेदक को भी पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त रहेगा, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास का आदेश दिनॉक 29-8-1992 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 13-8-2004 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 346/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-8-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर